

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 85/2014 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

1- वरदीचंद पिता हरजी मीणा नि. केवलपुरा तहसील बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- लखमा पिता कालू मीणा नि. करणपुर तह. छोटीसादड़ी
- 2- गंगाराम पिता पेमा मीणा नि. करणपुर तह. छोटीसादड़ी
- 3- सुकना पुत्री पेमा मीणा पत्नी शम्भुसिंह नि. कमोलिया तह. छोटीसादड़ी
- 4- रतना पिता कालू मीणा नि. करणपुर तह. छोटीसादड़ी
- 5- उदा पिता कालू मीणा नि. करणपुर तह. छोटीसादड़ी
- 6- लक्ष्मण पिता कालू मीणा नि. करणपुर तह. छोटीसादड़ी
- 7- भैरू पिता मेघा मीणा गोद गृहिता पिता पुरा मीणा नि. केवलपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 8- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा रूपपुरा पटवार हल्का अमीरामा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- वरदीचंद पिता हरजी मीणा नि. केवलपुरा

आ. नं.	रकबा
277/2	0.10
278	0.11
279/2	0.12
3	0.33

2- उदा पिता कालू 2/15 गंगाबाई पुत्री भेरा 1/15 नारायणसिंह पुत्र भेरा 1/15 नारायणी बाई पत्नी भेरा 1/15 पेमा पुत्र कालू 2/15 प्रकाशसिंह पुत्र भेरा 1/15 रतना पुत्र कालू 2/15 रामचंद्र पुत्र भेरा 1/15 लक्ष्मण पुत्र कालू 2/15 लखमा पुत्र कालू 2/15 जाति मीणा सां. करणपुर खा0

आ. नं.	रकबा
271	0.09
272	0.07
273	0.38
275	0.30
277/1	0.06
279/1	0.10
6	1.00

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 09.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़



क्रमांक : राजस्व/2024/262

दिनांक : 9/12/2024

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 85/2014 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955
1- वरदीचंद पिता हरजी मीणा नि. केवलपुरा तहसील बड़ीसादड़ी

-वादी

-: बनाम :-

- 1- लखमा पिता कालू मीणा नि. करणपुर तह. छोटीसादड़ी
- 2- गंगाराम पिता पेमा मीणा नि. करणपुर तह. छोटीसादड़ी
- 3- सुकना पुत्री पेमा मीणा पत्नी शम्भुसिंह नि. कमोलिया तह. छोटीसादड़ी
- 4- रतना पिता कालू मीणा नि. करणपुर तह. छोटीसादड़ी
- 5- उदा पिता कालू मीणा नि. करणपुर तह. छोटीसादड़ी
- 6- लक्ष्मण पिता कालू मीणा नि. करणपुर तह. छोटीसादड़ी
- 7- भैरू पिता मेघा मीणा गोद गृहिता पिता पुरा मीणा नि. केवलपुरा तह. बड़ीसादड़ी
- 8- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -

मौजा रूपपुरा पटवार हल्का अमीरामा की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- वरदीचंद पिता हरजी मीणा नि. केवलपुरा


आ. नं.	रकबा
277/2	0.10
278	0.11
279/2	0.12
3	0.33

- 2- उदा पिता कालु 2/15 गंगाबाई पुत्री भेरा 1/15 नारायणसिंह पुत्र भेरा 1/15 नारायणी बाई पत्नी भेरा 1/15 पेमा पुत्र कालु 2/15 प्रकाशसिंह पुत्र भेरा 1/15 रतना पुत्र कालु 2/15 रामचंद्र पुत्र भेरा 1/15 लक्ष्मण पुत्र कालु 2/15 लखमा पुत्र कालु 2/15 जाति मीणा सा. करणपुर खा0

आ. नं.	रकबा
271	0.09
272	0.07
273	0.38
275	0.30
277/1	0.06
279/1	0.10
6	1.00

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।
निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को सरे ईजलास में सुनाया गया।




प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी